

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 118/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सुरजसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी तेजावास तहसील रानीवाड़ा हाल नाकोड़ा तहसील सिणधरी		1. उत्तमसिंह पुत्र चिमनसिंह फौत के कायम मुकाम— 1/1 इन्द्रसिंह पुत्र उत्तमसिंह 1/2 छेलसिंह पुत्र उत्तमसिंह 1/3 नारायणसिंह पुत्र उत्तमसिंह 1/4 हेमसिंह पुत्र उत्तमसिंह 1/5 रेखाकंवर पत्नि उत्तमसिंह 1/6 सतुकंवर पुत्री उत्तमसिंह 1/7 सायरकंवर पुत्री उत्तमसिंह 1/8 गुड्डीकंवर पुत्री उत्तमसिंह 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री सुरजसिंह प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 15.04.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मुझ प्रार्थी सुरजसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी तेजावास जिला जालोर के नाम मौजा नाकोड़ा में खसरा संख्या 104/2 रकबा 3. 4140 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। कि उक्त भूमि को मेरे व उत्तमसिंह वल्द उत्तमसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत सा. देह द्वारा बेधान दस्तावेज कमांक 2011001007 व 2011001011 दिनांक 26.05.2011

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



के द्वारा विक्रेता रूपकंवर पत्नी पीरसिंह जाति राजपूत निवासी तेजावास से रकबा कमश: 21-02 बीघा व 48-00 बीघा भूमि कय की गई थी जो नामान्तरकरण सख्या 853 दिनांक 06.06.2011 के द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के बाद लद्धानक्शा में तरमीम की गई जो गलत कर दी गई। बेचान दस्तावेज में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार लद्धानक्शा में तरमीम न करके कब्जे के विपरित कर दी गई जिसके कारण केतागणों में आपस में विवाद होने की संभावना है। वर्तमान में दोनों केतागण तरमीम संशोधन से पूर्ण सहमत है। कब्जा के अनुसार तरमीम दुरस्त की जाती है तो मौका व बेचान दस्तावेज में एक रूपता कायम हो जायेगी जो भविष्य में विवाद की गुंजाईश पैदा नहीं होगी। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 2 की ओर से नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी सूरजसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी तेजावास जिला जालोर के नाम मौजा नाकोड़ा में खसरा संख्या 104/2 रकबा 3.4140 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। कि उक्त भूमि को मेरे व उत्तमसिंह वल्द उत्तमसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत सा. देह द्वारा बेधान दस्तावेज कमांक 2011001007 व 2011001011 दिनांक 26.05.2011 के द्वारा विक्रेता रूपकंवर पत्नी पीरसिंह जाति राजपूत निवासी तेजावास से रकबा कमश: 21-02 बीघा व 48-00 बीघा भूमि कय की गई थी जो नामान्तरकरण सख्या 853 दिनांक 06.06.2011 के द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के बाद लद्धानक्शा में तरमीम की गई जो गलत कर दी गई। बेचान दस्तावेज में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार लद्धानक्शा में तरमीम न करके कब्जे के विपरित कर दी गई। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 570 दिनांक 18.03.2025 में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी सं. 2 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी सूरजसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी तेजावास जिला जालोर के नाम मौजा नाकोड़ा में खसरा संख्या 104/2 रकबा 3.4140 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। कि उक्त भूमि को मेरे व उत्तमसिंह वल्द उत्तमसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत सा. देह द्वारा बेधान दस्तावेज कमांक 2011001007 व 2011001011 दिनांक 26.05.2011 के द्वारा विक्रेता

रूपकंवर पत्नी पीरसिंह जाति राजपूत निवासी तेजावास से रकबा कमशः 21-02 बीघा व 48-00 बीघा भूमि कय की गई थी जो नामान्तरकरण सख्या 853 दिनांक 06.06.2011 के द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के बाद लहानक्शा में तरमीम की गई जो गलत कर दी गई एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काशत के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है, जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 570 दिनांक 18.03.2025 से होता है, इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काशत से की तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काशत के अनुसार ही रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा नाकोड़ा, पटवार मण्डल सिणधरी, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 104 व 104/2 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 570 दिनांक 18.03.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी